

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 179/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 09 कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक बसंत विहार नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. भवानी शंकर शर्मा

पता- प्लॉट नम्बर-36, बालाजी विहार-15 विस्तार मुरलीपुरा स्कीम, केडिया पैलेस रोड, जयपुर।

एवं श्री श्याम स्टील, प्लॉट नम्बर ए-बी-2, नाडी का फाटक, जयपुर।

2. राजेश्वरी देवी

प्लॉट नम्बर-36, बालाजी विहार-15 विस्तार मुरलीपुरा स्कीम, केडिया पैलेस रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.02.2023

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.12.2019 व 30.09.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति राजेश्वरी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर-36, बालाजी विहार-15 विस्तार मुरलीपुरा स्कीम, केडिया पैलेस रोड, जयपुर कुल ऐरिया 99.7 वर्ग गज को बन्धक रख कर 45,06,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.08.2022 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 45,06,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.

५९१
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 49,12,040/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 23.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अप्राथी श्रीमति राजेश्वरी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर-36, बालाजी विहार-15 विस्तार मुरलीपुरा स्कीम, केडिया पैलेस रोड, जयपुर कुल ऐरिया 99.7 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर सूचित जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को प्राप्त करने में सहयोग कर कम्पनी को दिलाये हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 15.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर